

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली बहरोड

पीठासीन अधिकारी कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या...15/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय- आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड नं० 16 वीं, प्लॉट नं० बी-23 थाणे इण्डस्ट्रीयल एरिया, वागले एस्टेट, थाने-400 604, मुम्बई, महाराष्ट्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय-4 पलोर, विनायक हाईट्स, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान 302021 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेन्द्र पाराशर।

.....प्रार्थी कम्पनी/सिक्थोर क्रेडियर

बनाम

- बाला देवी पत्नी बलबीर निवासी नियर बाई बस स्टैंड, ग्राम-बाबेरी तहसील- बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान 301402 अन्य पता खसरा नं० 1381 नियर बाई बस स्टैंड ग्राम-बाबेरी, तहसील- बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड राज० 301402।
- बलबीर सिंह निवासी खसरा नं० 1381 नियर बाई बस स्टैंड, ग्राम-बाबेरी तहसील- बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान 301402 अन्य पता ग्राम-बाबेरी, तहसील- बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड राज० 301402।
- दुग्ध डेयरी (जरिये प्रोपराइटर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रबंध निदेशक) ग्राम-बाबेरी तहसील- बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान 301402 अन्य पता खसरा नं० 1381 नियर बाई बस स्टैंड ग्राम-बाबेरी, तहसील- बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड राज० 301402।

अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा -14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल एसेट एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट ऐक्ट - 2002, जिसे एतद पश्चात ऐक्ट से नाम से संबोधित किया गया है, बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित:-कुलदीप शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 16/11/2024

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कम्पनी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हैं, जो रिजर्व कम्पनी ऑफ इण्डिया एवं नेशनल हाउसिंग बोर्ड के नियमों के अन्तर्गत सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत कार्यवाहियाँ करने के लिए अधिकृत हैं। जिसे उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के रूप में प्रस्तुत एवं उद्बोधित किया गया है। प्रार्थी कम्पनी की तरफ से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेन्द्र पाराशर को न्यायालय एवं अर्द्ध-न्यायालय, सरकारी एवं गैर सरकारी में समस्त विधिक कार्यवाहियाँ करने के लिए जरिये बोर्ड प्रस्ताव से अधिकृत किया गया है। प्रार्थी कम्पनी से अप्रार्थी/ऋणी ने लोन फैसिलिटी से खाता संख्या IL10240434 में 5,16,987/- रूपये (अक्षरे पांच लाख सोलह हजार नौ सौ सतासी रूपये मात्र) में लोन के बाबत प्राप्त किए तथा अप्रार्थी/ऋणी ने उक्त ऋण सुविधा के एवज में बंधक विलेख को निष्पादित कर अचल सम्पत्ति खसरा नं० 1381 भूमि एरिया 3229 वर्गफीट कारपेट एरिया 1800 वर्गफीट सुपर बिल्डअप एरिया 2249 वर्गफीट नियर बाई पास बरा स्टैंड ग्राम बाबेरी, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान में स्थित है, को प्रार्थी कम्पनी के हक में बंधक किया था। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को नियमानुसार ऋण भुगतान ना करने पर कम्पनी के द्वारा नियमानुसार दिनांक 03.06.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एनपी.ए) बर्गोक्त कर दिया गया था। उक्त ऋण खाता को एन.पी.ए घोषित होने के कारण ऐक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रार्थी कम्पनी ने ऋणी/अप्रार्थी एवं सहऋणी को दिनांक 13.06.2023 एवं रजि० दिनांक 15.06.2023 के रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये गये, अप्रार्थीगण को प्रेषित नोटिस प्राप्त हो गया उक्त नोटिस की जानकारी अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पते पर हो चुकी थी। परन्तु अप्रार्थीगण ने नोटिस की मियाद निकलने के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। तत्पश्चात प्रार्थी कम्पनी ने दो स्थानीय अखबार इण्डियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) एवं कंचन कैसरी (हिन्दी) संस्करण में 13 (2) सरफेसी अधिनियम 2002 के नोटिस का प्रकाशन दिनांक 16.06.2023 को भी करवाया व दिनांक 13.09.2023 को इण्डियन एक्सप्रेस अंग्रेजी के अखबार में एवं कंचन कैसरी हिन्दी संस्करण पत्रेण नोटिस दिया गया जो कि अप्रार्थीगण को उक्त प्रकाशन से प्राप्त हो जाने पर भी अप्रार्थीगण ने नोटिस की मियाद निकलने के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा



जिला कलक्टर  
कोटपूतली-बहरोड

- नहीं करवाई गई एवं ना ही बन्धकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वारतविक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को सम्पूर्ण बकाया राशि या सम्पत्ति कब्जा प्रदान नहीं किया गया, जिस पर बन्धक सम्पत्ति का वारतविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी कम्पनी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि लोन खाता संख्या IL10240434 में 5,16,987/- रुपये (अक्षरे पांच लाख सोलह हजार नौ सौ सतासी रुपये मात्र) दिनांक 05.06.2023 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे पृथक से जमा कराना है, परन्तु ऋणी एवं सहऋणी ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (कम्पनी) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उक्त एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/सह-ऋणी से प्रार्थी कम्पनी को दिलाने के आदेश फरमाने की कुपा करे।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
  3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को ऋण IL10240434 में 5,16,987/- रुपये (अक्षरे पांच लाख सोलह हजार नौ सौ सतासी रुपये मात्र) को स्वीकृत कर ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल रुपये 5,56,488/- (अक्षरे पांच लाख छप्पन हजार चार सौ अठ्ठासी रुपये) जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.06.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
  4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी बाला देवी पत्नी बलबीर निवासी नियर बाई बस स्टैंड, ग्राम-बावेरी तहसील- बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान 301402 अन्य पता खसरा न0 1381 नियर बाई बस स्टैंड ग्राम-बावेरी, तहसील- बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड राज0 301402।  
के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति खसरा न0 1381 भूमि एरिया 3229 वर्गफीट कारपेट एरिया 1800 वर्गफीट सुपर विल्डअप एरिया 2249 वर्गफीट नियर बाई पास बस स्टैंड ग्राम बावेरी, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
  5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस अधीक्षक कोटपूतली-बहरोड को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
  6. आदेश की प्रति हर्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
  7. आदेश आज दिनांक 16/4/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(कल्पम अग्रवाल)  
जिला कलक्टर  
कोटपूतली-बहरोड